

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

OK  
11/8/85

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 103] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 1985/फाल्गुन 20, 1986  
No. 103] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 1985/PHALGUNA 20, 1986

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1985

सा. का. नि. 145(अ):—केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी  
निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त  
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक सलाहकार बोर्ड गठित करती है, जिसमें निम्न-  
लिखित होंगे :—

अध्यक्ष

- माननीय न्यायमूर्ति श्री टी. पी. एस. चावला, न्यायाधीश, दिल्ली  
उच्च न्यायालय ।

सदस्य

2. माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. एस. चड्ढा, न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय ।
  3. माननीय न्यायामूर्ति श्रीमती लीला सेठ, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय ।
2. इस सलाहकार बोर्ड का कार्यकाल, इस अधिसूचना की तारीख से 10 मार्च, 1986 तक होगा ।

[फा. सं. 674/1/85-सीमा शूल्क (8)]

एम. जी. वेणुगोपालन, उप. सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 1985

G.S.R. 145(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), the Central Government hereby constitutes an Advisory Board consisting of :—

CHAIRMAN

1. Hon'ble Mr. Justice T.P.S. Chawla, Judge of the Delhi High Court.

MEMBERS

2. Hon'ble Mr. Justice S. S. Chadha, Judge of the Delhi High Court.
3. Hon'ble Mr. Justice Leila Seth, Judge of the Delhi High Court.

2. The term of the Advisory Board shall be up to the 10th March, 1986, from the date of this notification.

[F. No. 674|1|85-Cus. VIII]

M. G. VENUGOPALAN, Dy. Secy.